

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 31.01.2019

संख्या—1 / पी0—103 / 2015 का.— 994 / उपायुक्त, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री जटाशंकर चौधरी, भा.प्र.से. (झा:2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट—2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या—1 / पी0—103 / 2015 का.— 995 / विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्रीमती विप्रा भाल, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सिमडेगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट—2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या—1 / पी0—103 / 2015 का.— 996 / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिह्निती एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार पाठक, भा.प्र.से. (झा:2006) (अतिरिक्त प्रभार— परियोजना निदेशक, झारखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गिरिडीह जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट—2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या—1 / पी0—103 / 2015 का.— 997 / अपर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित डॉ० शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से. (M-2007) (अतिरिक्त प्रभार— निदेशक, मध्याहन भोजन प्राधिकार, झारखण्ड तथा निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT)) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक बोकारो जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट—2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या—1 / पी0—103 / 2015 का.— 998 / उपायुक्त, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्रीमती नेहा अरोड़ा, भा.प्र.से. (झा:2012), सम्प्रति अवकाश पर, अवकाश समाप्ति के पश्चात कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान करेंगी।

३१/१/१९

संख्या-1 / पी०-१०३/२०१५ का०- ९९९ / उपायुक्त, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, भा.प्र.से. (झा:२०१३) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, झारखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

श्री बरणवाल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर निदेशक (प्रशासन), रिम्स, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1 / पी०-१०३/२०१५ का०- १००० / उपायुक्त, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री आदित्य कुमार आनन्द, भा.प्र.से. (झा:२०१३) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

श्री आनन्द अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, मध्याहन भोजन प्राधिकार, झारखण्ड तथा निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

१२०१३।।।१९
(अरुण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

झापांक- 1 / पी०-१०३/२०१५ का० - १००० / राँची, दिनांक ३१.०१.२०१९

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखण्ड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१२०१३।।।१९
सरकार के अवर सचिव।